परिशिष्ट–I

No.CAG/291
Date - 17/05/21

# गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
## पन्तनगर
### जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263146

## एक वर्षीय अल्पकालीन खुली बोली की शर्तें

**पन्तनगर विश्वविद्यालय पर लाइसेंस/शुल्क के आधार पर एक वर्ष के लिए कृषि कार्य हेतु भूमि बाह्य ठेकेदारों/एजेन्सियों को दिये जाने हेतु खुली बोली की शर्तें :–**

1. (अ) खुली बोली के अनुरूप सफल बोलीदाता अनुबन्ध के अनुसार द्वितीय पक्ष होंगे तथा अधिष्ठाता कृषि गो0ब0पन्त कृ0एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर प्रथम पक्ष होंगे।

   **(ब) बोली दाता को बोली के समय पैन नं0 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।**

2. यह है कि भूमि/खेत लाइसेंस शुल्क पर माह 01 जून 2021 से माह 31 मई 2022 तक की अवधि के लिए दिये जायेंगे।

3. यह है कि बोली स्वीकृत होने के बाद एवं आवंटित भूमि के कब्जे से पूर्व द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाणपत्र तथा अपने मूल निवास के पुलिस स्टेशन/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्वंय का चरित्र प्रमाण–पत्र (जो कि छह माह से अधिक पुराना नहीं हो) जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड नम्बर एवं वर्ष का आय कर जमा करने का प्रमाण आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा। लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर कार्यरत लाइसेंसी के अधीनस्थ कर्मियों/श्रमिकों का चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना होगा एवं अपने सभी कर्मचारियों का पंजीकरण कराकर प्रक्षेत्र कार्यालय से पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। बिना पहचान पत्र के किसी कर्मी का प्रक्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।

4. यह है कि बोली स्वीकृत होने पर सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि दो किश्तों में निम्नांकित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी:–
   **अ– प्रथम किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।**
   ब– दूसरी किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) 31 दिसम्बर 2021 तक जमा करनी होगी।

5. **बोलीदाता को बोली की शर्त 04 में वर्णित किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से महाविद्यालय के चक्रीय निधि खाता संख्या 10773372306, (स्टेट बैंक आफ इडिया, पन्तनगर) के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नही किया जायेगा।**

6. यह है कि द्वितीय पक्ष को भूमि की जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई, सुरक्षा, चौकीदारी आदि सभी कृषि कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। भू–खण्ड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क पर किया जा सकेगा तथा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी नयी सुविधा का सृजन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस पर आवंटित भूमि में अथवा आस–पास विश्वविद्यालय की अन्य भूमि में किसी भी दशा में कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य यथा खोखा लगाना, जानवर पालना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसा होने की दशा में 15 दिन का नोटिस देने के उपरान्त लाइसेंस निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि एवं अन्य धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7. यह है कि द्वितीय पक्ष/लाइसेंसी अथवा उसका कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय नियमों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। यदि लाइसेंसी अथवा उसका कोई कर्मचारी किसी असामाजिक व गैरकानूनी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त करते हुए लाइसेंस को निरस्त कर कृषि कार्य किये जाने वाली भूमि को विश्वविद्यालय द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

8. यह है कि यदि द्वितीय पक्ष को भूमि के क्षेत्रफल सम्बन्धी कोई आपत्ति होती है तो उसके अनुरोध पर प्रभारी पी0सी0पी0 द्वारा अनुबन्ध निष्पादित होने से पूर्व एक माह तक संयुक्त पैमाइश करायी जा सकती है। अनुबन्ध निष्पादित होने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

9. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी कुल भूमि अथवा उसके किसी भाग की विश्वविद्यालय को आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में एक माह का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबन्ध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है एवं तदनुसार भूमि शुल्क की भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि, यदि कोई हो, तथा खड़ी फसल के मूल्य (तकनीकी समिति के आंकलन के अनुसार) का भुगतान लाइसेंसी को कर दिया जायेगा।

10. यह है कि द्वितीय पक्ष को लाइसेंस की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित रास्तों का उपयोग बिना कोई क्षति पहुँचाये करना अनिवार्य होगा। मशीनों आदि के लाने–ले जाने से रास्ते क्षतिग्रस्त होने की दशा में उनकी मरम्मत आदि का व्यय तकनीकी समिति के आंकलन के आधार पर लाइसेंसी को करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा के अन्दर अथवा बाउण्ड्री के बाहर नये रास्ते द्वारा कोई उत्पादन नहीं ले जाया जायेगा तथा जो रास्ते के अन्दर बनाये गये है उन्हीं रास्तो का प्रयोग करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष उक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो प्रथम बार ₹ 5,000.00 क्षतिपूर्ती के रूप विश्वविद्यालय को भुगतान करना होगा तथा उक्त की पुनरावृत्ति किये जाने पर ₹ 10,000.00 का भुगतान क्षतिपूर्ती के रूप में करना होगा।

11. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्लाट का क्षेत्रफल नहीं बदला जायेगा एंव पक्की या कच्ची सड़के काटकर कृषि योग्य भूमि में नहीं बदली जायेगी।

17-5-21

12. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रक्षेत्र में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा। श्रमिकों के लिए अस्थाई झोपड़ी लाइसेंस की भूमि पर बनाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद अस्थाई झोपड़ियों आदि को ध्वस्त करना होगा।
13. यह है कि द्वितीय पक्ष को दी गई सम्पत्ति जिस स्थिति में दी जायेगी उसे अनुबन्ध समाप्ति पर, प्रक्षेत्र प्रशासन को वापस करना होगा। किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसी से की जायेगी।
14. यह है कि उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लाइसेंसी के अनुरोध पर विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी एवं विद्युत शुल्क के देयकों का भुगतान विद्युत विभाग में जमा करना होगा। लाइसेंसी के आवेदन पर सक्षम अधिकारी की संस्तुति के अनुसार आवश्यक विद्युत सुरक्षा धनराशि जमा करने के बाद विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जा सकेगा। जमा विद्युत सुरक्षा धनराशि लाइसेंस अवधि समाप्ति पर विद्युत विभाग पन्तनगर से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि कार्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही वापसी की जायेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से विद्युत कनेक्शन देने हेतु बाध्य नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध देय विद्युत शुल्क की धनराशि समय से जमा नहीं की जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति को निरस्त करते हुए विद्युत कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा सकती है। इस पर द्वितीय पक्ष का कोई दावा देय नहीं होगा।
15. यह है कि व्यापार कर स्टाम्प ड्यूटी अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन करना होगा। लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि पर जिस वर्ष स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा स्टाम्प शुल्क के अन्तर के समतुल्य की धनराशि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी का चालान द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने से पूर्व इस कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में जिला अधिकारी द्वारा आर0सी0 काटने की कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंस शुल्कदाता की होगी।
16. यह है कि यदि लाइसेंस शुल्कदाता/उसके कार्यकर्ता द्वारा आवंटित भूमि पर एवं उसके निकटतम् क्षेत्रफल पर जंगली जानवरों के अवैध शिकार करने हेतु विद्युत तार के माध्यम् से क्षेत्रफल पर बिजली करन्ट आदि लगाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी लाइसेंस शुल्कदाता की होगी तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति के दोषी पाये जाने पर लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि की स्वीकृति अविलम्ब निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा की वैधता समय के दौरान कोई शर्त भंग की जाती है अथवा बदलाव किया जाता है तो "जी एफ आर के 273 नियम के नोट 2 (3)" के अनुसार निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब्त की जायेगी तथा किया गया अनुबन्ध निरस्त कर भूमि वापस ले ली जायेगी।
18. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण एकल पंचाट के रूप में कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधम सिंह नगर अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। एकल पंचाट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बाध्य होगा।
19. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार ऊधमसिंहनगर जनपद में निहित होगा।
20. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसलों के बचे हुए अवशेषो को खेत में जलाया जाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगा। यदि सफल निविदादाता द्वारा इस प्रकार का कार्य करते हुए पाया जाता है तो निर्गत स्वीकृति पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा एवं इस कृत कार्यवाही हेतु ऐसे लाइसेंस शुल्कदाता पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जा सकती है तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नियम के पालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
21. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसल पर यदि किसी दैवीय आपदा, मौसम की अनिश्चितता अथवा अन्य किसी कारणों से किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो फसल की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरादायित्व निविदादाता का होगा। विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. यह कि सफल निविदादाता द्वारा एक वर्ष की अवधि के दौरान हरी खाद/गोबर की खाद/जैविक खाद/कम्पोस्ट खाद आदि यथासम्भव प्रयोग करने का प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

**हस्ताक्षर** .....

**पूरा नाम** .....

**पिता का नाम** .....

**ग्राम एवं पो0** .....

**तह0** ..... **जनपद** .....

**पिन** ..... **दूरभाष** .....

**प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 22 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य हैं।**

*हस्ताक्षर निविदादाता*

17-5-21

*निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर*

No.CAG/290
Date. 17/05/2021

# गोविन्द बल्लभ पन्त, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला उधम सिंह नगर

## अल्पकालीन खुली बोली सूचना

सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में कृषि महाविद्यालय के पी0सी0पी0 विभाग में 18.00 हैक्टेयर भूमि को कृषि कार्य हेतु वाह्य कृषकों/एजेन्सियों को लाइसेंस शुल्क के आधार पर एक वर्ष (दिनांक 01.06.2021 से 31.05.2022 तक) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिया जाना है।

अतः इच्छुक ठेकेदार/कृषक/एजेन्सियाँ दिनांक 20.05.2021 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे अधिष्ठाता कृषि कार्यालय में उपस्थित होकर खुली बोली में भाग ले सकते हैं। भाग लेने से पूर्व अधिष्ठाता कृषि कार्यालय के लेखाअनुभाग में रु0 25,000.00 नकद जमा करना होगा।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय

17/5

प्रतिलिपिः समस्त सूचना पटल।